उत्तरांचल शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियत्रंण सेवा अनुभाग
संख्या 228 / XII / 2006 / 92(9) / 2005
देहरादूनः दिनांक 20 अप्रेल, 2006

विज्ञप्ति / नियुक्ति

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग उत्तरांचल द्वारा राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा, 2002 के आधार पर चयनित / संस्तुत श्री जितेन्द्र कुमार को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तरांचल पंचायती राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर रूपये 6500–200–10500 के वेतनमान में नियुक्त करते हुए उनकी तैनाती जनपद नैनीताल में जिला पंचायत राज अधिकारी के रिक्त पद पर की जाती है तथा उन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इन अभ्यर्थियों की सेवा की शर्ते उत्तरांचल(उ0प्र0 जिला पंचायत राज अधिकारी(समूह "ख") नियमावली–2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये संशोधन एवं अन्य प्रचलित नियमावलियों व शासनादेशों के अधीन विनियमित होंगीं।

3– श्री जितेन्द्र कुमार को शैक्षिक योग्यता तथा आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, अधिवास प्रमाण–पत्र(यदि लागू होता हो तो) की प्रमाणित प्रतियां, चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण–पत्र, एक से अधिक पत्नी न होने का घोषणा पत्र(लागू होने पर), चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा–पत्र जिसके वे स्वामी हो, अपना बायोडाटा, इण्डियन सिक्रेट्स एक्ट–1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी घोषणा–पत्र, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गई सेवाओं के सम्बन्ध में घोषणा–पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4– यह नियुक्ति उत्तरांचल मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जांच के अधीन हैं। यदि उक्त प्रमाण–पत्र अवैध पाया जाता है तो तथा पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त सकारात्मक नहीं पाया जाता है तो इनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

पी0के0 महान्ति
सचिव।

स्वयं कि DM/कोषाधिकारी
कुल 3 प्रतियाँ
प्राप्त किया
Jitendra Kumar
21/4/06
अपराह्न
3:00 PM

संख्या 228 / XII / 2006 / 92(9) / 2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव कार्मिक अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन को उनके पत्र संख्या 413 / XXX(2) / 2005 दिनांक 13–3–2006 के कम में सूचनार्थ।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
3– परीक्षा नियत्रंक, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार।
4– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल पौड़ी।
5– आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
6– निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।
7– जिलाधिकारी नैनीताल।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी नैनीताल।

कमशः....2.....

(1)

9– अधिशासी निदेशक, उत्तरांचल, ग्राम्य विकास संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि कृपया संस्थान में भविष्य में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में उक्त अभ्यर्थी को सम्मिलित करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

10– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि श्री जितेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

11– मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल।

12– जिला विकास अधिकारी नैनीताल।

13– जिला पंचायत राज अधिकारी नैनीताल।

14– श्री जितेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल देहरादून।

15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे0पी0 जोशी)
उप सचिव

जितेन्द्र कुमार
207, डी० एल० रोड
देहरादून (उत्तरांचल)

फोन –
R – 01352654730
M – 9927045138